भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3134

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत में मनोभ्रंश के मामलों में वृद्धि की प्रवृत्ति

†3134. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश और विश्व में मनोभ्रंश के मामलों में वृद्धि की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित संपूर्ण देश में सामने आए अल्जाइमर रोग के मामलों का आयु-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों में अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश पर अनुसंधान के संबंध में कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का संपूर्ण देश में वृद्धजनों में मनोभ्रंश रोग का पता लगाने और इस संबंध में उपचार प्रदान करने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम/अभियान है; और
(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत में की गई लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी के लिए हार्मोनाइज्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ डिमेंशिया में भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यस्कों में डिमेंशिया की व्याप्तता 7.4% (88 लाख) होने का अनुमान है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भारतीय जनसंख्या में संज्ञानात्मक बाधिता का आकलन करने के लिए उपकरण विकसित करने हेतु एक अध्ययन किया है। आईसीएमआर न्यूरो कॉग्निटिव टूलबॉक्स (आईसीएमआर-एनसीटीबी) पांच अलग-अलग भारतीय भाषाओं में विकसित किया गया है और इसे 16 शोध अध्ययनों और नैदानिक मूल्यांकन के लिए उपयोग करने की अनुमति है।

मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बेहतर प्रबंधन से डिमेंशिया के जोखिम को संभावित रूप से कम किया जा सकता है। भारत सरकार मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का शुरू में ही पता लगाने और प्रबंधन, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, स्क्रीनिंग, पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) कार्यान्वित कर रही है। सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग भी आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के तहत सेवा प्रदायगी का एक अभिन्न अंग है। सरकार राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई) भी कार्यान्वित कर रही है। एनपीएचसीई के प्रमुख कार्यकलापों में ओपीडी परिचर्या सेवाओं और 30 बिस्तरों वाले जराचिकित्सा वार्ड के साथ क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) में जरा-चिकित्सा विभाग की स्थापना, 10 बिस्तरों वाले जराचिकित्सा वार्ड सहित विशिष्ट जराचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों में जराचिकित्सा इकाइयों की स्थापना, सप्ताह में दो बार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जरा-चिकित्सा क्लीनिकों में पुनर्वास इकाई की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लीनिक की स्थापना और स्वस्थ जीवन शैली, बिस्तर पर पड़े लोगों की घर पर परिचर्या और उप-केन्द्र स्तर पर जरूरतमंद वृद्धजनों के लिए सहायक उपकरणों के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल और मादक पदार्थ के सेवन संबंधी विकार (डिमेंशिया सहित) की सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मनोभ्रंश सहित मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक पदार्थ विकारों (एमएनएस) के बारे में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के घटक समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय पोषण, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी सुविधांए निशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अल्जाइमर्स रोग/डिमेंशिया से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए निरंतर नर्सिंग परिचर्या और राहत की आवश्यकता वाले कम से कम 20 वरिष्ठ नागरिकों, अथवा जो अल्जाइमर रोग/डिमेंशिया से पीड़ित हैं, के लिए सतत परिचर्या गृहों और आवासों के संचालन और रखरखाव के लिए, परियोजना लागत के 100% तक अनुदान दिए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है। 23.07.2024 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 53 टेली मानस सेल स्थापित किए गए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक कॉल हैंडल किए गए हैं।

*****